



अंचल अधिकारी का कार्यालय, चास (बोकारो) आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक सा. से तक
जिला - बोकारो मु० सं० 1328 III सन् 20.15-16
केश का प्रकार - नामांतरण (दाखिल खारिज)

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
1	2	3										
<p><u>25/6/15</u> <u>28/05/15</u></p>	<p>आवेदक श्री/श्रीमती <u>मुंजु लामा</u> पिता/पति श्री <u>सुरेश कुमार</u> ग्राम <u>चास</u> थाना <u>चास</u> जिला <u>बोकारो</u> निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन दिये हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">मौजा व थाना नं०</th> <th style="text-align: center;">खाता</th> <th style="text-align: center;">प्लॉट</th> <th style="text-align: center;">रकबा</th> <th style="text-align: center;">लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;"><u>चास</u> 80</td> <td style="text-align: center;">198</td> <td style="text-align: center;">6825</td> <td style="text-align: center;">1.886</td> <td style="text-align: center;">0.20</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">आवेदन के आलोक में आम इस्तहार निर्गत करें तथा हल्का कर्मचारी एवं अंचल बिरीक्षक से जाच प्रतिवेदन प्राप्त करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी चास</p>	मौजा व थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	<u>चास</u> 80	198	6825	1.886	0.20	<p>आं.च. हेतु का.पै.स. 11/21/15 <u>3.7.15</u> R.L.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">CC-11/15</p>
मौजा व थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान								
<u>चास</u> 80	198	6825	1.886	0.20								
<p><u>30/6/15</u></p>	<p>आवेदन के आलोक में आम इस्तहार निर्गत किया गया। मूल आवेदन पत्र निर्बंधित पट्टा/मिळय पत्र की छाया प्रति के साथ हल्का कर्मचारी को जाच हेतु दिया गया। हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना विस्तृत जाँच प्रतिवेदन अंचल बिरीक्षक के माध्यम से दिनांक <u>30/6/15</u> तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस नामांतरण के आलोक में किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक <u>30/6/15</u> तक अपना आपत्ति पत्र अधोहस्ताक्षरी को अवश्य दें। अन्यथा समय बीतने पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी तथा दावा अमान्य कर दिया जाएगा।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>30/6/15</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी चास।</p>											